जलवायु परिवर्तन नियंत्रण के अंतरराष्ट्रीय प्रयास

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)

1. परिचय:

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य वैश्विक जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सामूहिक प्रयास करना है। यह संधि 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाई गई थी और 21 मार्च 1994 को लागू हुई थी।

2. इतिहास:

UNFCCC की स्थापना 1992 में हुई जब 154 राष्ट्रों ने रियो डी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इस संधि पर हस्ताक्षर किए।

इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना और उनके अनुकूलन के लिए वैश्विक प्रयासों को समन्वित करना था। संधि के तहत पार्टियों ने राष्ट्रीय इन्वेंट्री तैयार करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कदम उठाने का संकल्प लिया।

3. मुख्य उद्देश्य:

UNFCCC का मुख्य उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करना है ताकि जलवायु प्रणाली पर खतरनाक मानवजनित हस्तक्षेपों को रोका जा सके।

इसके अतिरिक्त, यह सदस्य देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है ताकि वे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और अनुकूलन के उपायों को बढ़ावा देने के लिए काम कर सकें।

4. सदस्यों की संख्या:

UNFCCC में वर्तमान में 197 सदस्य हैं, जिन्हें पार्टियां कहा जाता है। इसमें लगभग सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश, साथ ही यूरोपीय संघ शामिल हैं।

5. मुख्य सिद्धांत:

- **समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां:** यह सिद्धांत कहता है कि सभी देशों की जिम्मेदारी है कि वे जलवायु परिवर्तन से निपटें, लेकिन उनके ऐतिहासिक योगदान और वर्तमान क्षमताओं के अनुसार उनकी जिम्मेदारियां विभेदित होती हैं।
- **सतत विकास:** UNFCCC के तहत पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जाता है।
- **वैज्ञानिक ज्ञान:** निर्णय लेते समय जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान को प्राथमिकता दी जाती है।
- **अनुकूलन और शमन:** UNFCCC अनुकूलन और शमन दोनों उपायों पर जोर देता है ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सके और उनसे निपटने के लिए तैयार रहा जा सके।

6. मुख्य प्रावधान:

- **राष्ट्रीय रिपोर्टिंग:** सदस्य देशों को नियमित रूप से अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, नीतियों और उपायों की रिपोर्ट देनी होती है।
- **वार्षिक सम्मेलनों (COP):** UNFCCC के सदस्य वार्षिक सम्मेलन (Conference of Parties, COP) में मिलते हैं, जहां वे संधि के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हैं और आवश्यकतानुसार नए निर्णय और संकल्प लेते हैं।
- **वित्तीय और तकनीकी समर्थन:** विकसित देशों से विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।
- **क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता:** UNFCCC के तहत कई प्रमुख प्रोटोकॉल और समझौते बने हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल (1997) और पेरिस समझौता (2015), जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने के लिए विशेष लक्ष्यों और नियमों को स्थापित करते हैं।

UNFCCC जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को संधारित और प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसका उद्देश्य एक स्थायी और सुरक्षित भविष्य के लिए वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करना है।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Kyoto Protocol

Kyoto Protocol एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। इसे 1997 में क्योटो, जापान में अपनाया गया और 2005 में लागू किया गया। इसके मुख्य उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना और वैश्विक तापमान में वृद्धि को सीमित करना था।

Kyoto Protocol के उद्देश्य:

- ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना।
- विकसित देशों के लिए उत्सर्जन लक्ष्यों को निर्धारित करना।
- उत्सर्जन कम करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना।

देशों का वर्गीकरण:

Kyoto Protocol में देशों का वर्गीकरण और उनके उत्सर्जन कटौती के लक्ष्यों को निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया गया था:

1. **Annex I देश:** इनमें विकसित देश और औद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं, जिनके लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ के सदस्य देश, जापान आदि।
2. **Non-Annex I देश:** इनमें विकासशील देश शामिल हैं, जिनके लिए उत्सर्जन कटौती के कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। इन देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी ताकि वे अपने विकास को बनाए रखते हुए उत्सर्जन को कम कर सकें।

उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य:

- हर एक Annex I देश के लिए एक विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो 1990 के स्तर से संबंधित था।
- उत्सर्जन कटौती का औसत 5.2% निर्धारित किया गया था, जिसे 2008-2012 की अवधि के लिए पूरा करना था।

Carbon Trading की व्यवस्था:

Kyoto Protocol के तहत **Carbon Trading** या **Emissions Trading** की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था अपनाई गई थी, जिसे **Carbon Market** भी कहा जाता है। इसके मुख्य घटक निम्नलिखित थे:

1. **Emissions Trading (ET):**
   - Annex I देशों के लिए, यह व्यवस्था उन्हें अपने उत्सर्जन अधिकारों को खरीदने और बेचने की अनुमति देती थी।
   - यदि किसी देश ने अपने उत्सर्जन लक्ष्यों से कम उत्सर्जन किया, तो वह अपने बचे हुए उत्सर्जन अधिकारों को किसी अन्य देश को बेच सकता था।

2. **Clean Development Mechanism (CDM):**
   - यह व्यवस्था Non-Annex I देशों में परियोजनाओं के माध्यम से उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करती थी।
   - Annex I देश इन परियोजनाओं में निवेश कर सकते थे और इससे प्राप्त हुए Certified Emission Reductions (CERs) को अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयोग कर सकते थे।
3. **Joint Implementation (JI):**
   - यह व्यवस्था Annex I देशों के बीच परियोजनाओं के माध्यम से उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करती थी।
   - एक Annex I देश दूसरे Annex I देश में परियोजना स्थापित कर सकता था और इससे प्राप्त Emission Reduction Units (ERUs) को अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयोग कर सकता था।

इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम लागत और अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना था। Carbon Trading ने देशों को उत्सर्जन कटौती के आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किए, जिससे यह व्यवस्था अधिक लचीली और कार्यान्वयन योग्य बनी।

Kyoto Protocol की सफलता:
- इसने कुछ हद तक विकसित देशों को ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रेरित किया।
- लेकिन कुछ प्रमुख देशों, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ने इसे अनुमोदित नहीं किया, जिससे इसके प्रभाव में कमी आई।
- कई देशों ने अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा किया, लेकिन वैश्विक उत्सर्जन में पर्याप्त कमी नहीं आई।

Kyoto Protocol एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन इसे पूरी तरह से सफल नहीं माना जा सकता। इसे बाद में **Paris Agreement** के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो अधिक व्यापक और समावेशी है।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Paris Climate Agreement

1. परिचय:

- **Paris Climate Agreement** (पेरिस जलवायु समझौता) एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2015 में अपनाया गया था।
- इसे **COP21** (21वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन) में **12 दिसंबर 2015** को पेरिस, फ्रांस में स्वीकार किया गया और **4 नवंबर 2016** को लागू हुआ।

2. इतिहास:

- **1992:** UNFCCC की स्थापना, जिसने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों का आधार तैयार किया।
- **1997: Kyoto Protocol** अपनाया गया, जो विकसित देशों के लिए बाध्यकारी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करता है।
- **2015:** पेरिस में आयोजित COP21 में **Paris Agreement** को स्वीकार किया गया, जिसमें सभी देशों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

3. मुख्य उद्देश्य:

- **वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे** सीमित करना, और प्रयास करना कि यह **1.5°C** से अधिक न बढ़े।
- **अनुकूलन क्षमताओं को बढ़ाना** और **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों** के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना।
- **वित्तीय प्रवाह को पुनर्निर्देशित** करना ताकि वे निम्न ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु-लचीली विकास पथों का समर्थन करें।

4. सदस्यों की संख्या:

- वर्तमान में **Paris Agreement** में **197 सदस्य देश** शामिल हैं, जो लगभग सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश और यूरोपीय संघ को सम्मिलित करते हैं।

5. मुख्य सिद्धांत:

- **समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमताएं:** सभी देशों की जलवायु कार्रवाई में हिस्सेदारी है, लेकिन उनकी क्षमताओं और विकास स्तर के अनुसार जिम्मेदारियों को विभेदित किया जाता है।
- **नवीनतम विज्ञान के आधार पर:** निर्णय लेने की प्रक्रिया में जलवायु विज्ञान को प्रमुखता दी जाती है।
- **पारदर्शिता और निगरानी:** जलवायु कार्रवाई की पारदर्शिता और प्रगति की निगरानी के लिए मजबूत व्यवस्था।

6. मुख्य प्रावधान:

- **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs):** सभी सदस्य देशों को अपने-अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य (NDCs) निर्धारित करने की आवश्यकता है और इन्हें हर पांच साल में अद्यतन करना है।

  उदाहरण:

  - **भारत:** भारत ने अपने NDCs में 2030 तक अपने GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 33-35% तक कम करने और 175 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
  - **यूरोपीय संघ:** यूरोपीय संघ ने 2030 तक 1990 के स्तर की तुलना में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 40% कम करने का लक्ष्य रखा है।

- **वैश्विक स्टॉकटेक:** हर पांच साल में वैश्विक प्रगति की समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे रखने के लक्ष्य की दिशा में पर्याप्त प्रगति हो रही है।
- **वित्तीय सहायता:** विकसित देशों को विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। इसका लक्ष्य **2020 तक प्रति वर्ष $100 बिलियन** जुटाना था।
- **पारदर्शिता ढांचा:** जलवायु परिवर्तन नीतियों और उपायों के कार्यान्वयन की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्टिंग और निगरानी की व्यवस्था।

7. Paris Agreement के नवीनतम सम्मेलनों में मुख्य निर्णय

- Paris Agreement के तहत प्रत्येक वर्ष Conference of the Parties (COP) आयोजित किया जाता है, जहां सदस्य देश जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों पर विचार-विमर्श और निर्णय लेते हैं।

COP26, 2021

स्थान: ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम

- **मुख्य निर्णय:**
  - **ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट:** वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित करने के लिए मजबूत और तत्पर उपायों की आवश्यकता पर बल दिया गया।
  - **मिथेन उत्सर्जन:** 2030 तक वैश्विक मिथेन उत्सर्जन को 30% तक कम करने के लिए वैश्विक मिथेन प्रतिज्ञा (Global Methane Pledge) की घोषणा।
  - **नवीकरणीय ऊर्जा:** नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और कोयले से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने की प्रतिबद्धता।
  - **वित्तीय सहायता:** जलवायु वित्त को बढ़ाने के लिए विकसित देशों से विकासशील देशों को अधिक वित्तीय सहायता की प्रतिबद्धता।
  - **कार्बन मार्केट:** कार्बन बाजार तंत्र के नियमों को अंतिम रूप देना, जिसे Article 6 के तहत लागू किया जाएगा।
- **नुकसान और क्षति:** जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान और क्षति के लिए सहायता प्रदान करने पर चर्चा और उपाय।

COP27 (2022) शर्म अल-शेख, मिस्र

- **मुख्य निर्णय**:
  - एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया जिसमें हानि और क्षति निधि की स्थापना और संचालन शामिल था।
  - सम्मेलन ने अभी से उत्सर्जन को काफी हद तक कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

COP28 (2023) दुबई, संयुक्त अरब अमीरात

- **ग्लोबल स्टॉकटेक**: COP28 ने पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के विश्व के प्रयासों के पहले 'ग्लोबल स्टॉकटेक' का निष्कर्ष निकाला। इस स्टॉकटेक ने दिखाया कि जलवायु कार्रवाई के सभी क्षेत्रों में प्रगति बहुत धीमी थी - ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से लेकर बदलती जलवायु के प्रति लचीलापन बढ़ाने तक, कमजोर राष्ट्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त करने तक।
- **मुख्य निर्णय**:
  - देशों ने 2030 तक सभी क्षेत्रों में कार्रवाई को तेज करने के निर्णय लिए। वे अपने अगले दौर की जलवायु प्रतिबद्धताओं में पवन और सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण को तेज करेंगे। सम्मेलन ने जीवाश्म ईंधन युग के "अंत की शुरुआत" का संकेत दिया।
  - पार्टियों ने हानि और क्षति निधि और वित्तपोषण व्यवस्थाओं के संचालन पर एक ऐतिहासिक समझौता किया। निर्णय पर मुहर लगते ही निधि के लिए प्रतिबद्धताएं आने लगीं, जो कुल मिलाकर 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक थीं।
- **भविष्य की कार्रवाइयां**: अल्पावधि में, पार्टियों को 2025 तक अपने अगले दौर की जलवायु कार्रवाई योजनाओं (जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के रूप में जाना जाता है) में सभी ग्रीनहाउस गैसों, क्षेत्रों और श्रेणियों को कवर करते हुए, 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा के साथ संरेखित महत्वाकांक्षी, अर्थव्यवस्था-व्यापी उत्सर्जन कमी लक्ष्य के साथ आने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

8. निष्कर्ष:

Paris Agreement जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सभी देशों को मिलकर काम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए मजबूत प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता पर बल देता है।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR